सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority

ज्येष्ठ 3, मंगलवार, शाके 1944-मई 24, 2022

Jyaistha 3, Tuesday , Saka 1944- May 24, 2022

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

कार्मिक विभाग

क-ग्रुप-2

अधिसूचना

जयपुर, मई 23, 2022

जी.एस.आर.25 :-भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम, 1965 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा (पंचम संशोधन) नियम, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 19 का संशोधन.- राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम, 1965 के विद्यमान नियम 19 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"19 आवेदनों की संवीक्षा और परीक्षाएं.- (1) आयोग के कार्यक्षेत्र में आने वाले पद के लिए आयोग द्वारा प्राप्त आवेदन, जो अपूर्ण पाये जायें, उनके द्वारा अस्वीकार किये जायेंगे। परीक्षा में उपस्थित होने से पूर्व, अभ्यर्थी द्वारा स्वंय यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वह इन नियमों में यथा उपबन्धित आयु, शैक्षिक अर्हताएं, अनुभव, यदि कोई हो, आदि के संबंध में शर्तें पूर्ण करता/करती है। परीक्षा देने के लिए अनुज्ञात किया जाना अभ्यर्थी को पात्रता की उपधारणा का हकदार नहीं बनायेगा। अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में उपस्थित होना होगा। बाद में आयोग केवल ऐसे अभ्यर्थियों के आवेदनों की ही संवीक्षा करेगा जो लिखित परीक्षा में अर्हित हों।

(2) लिखित परीक्षा की स्कीम और पाठ्य विवरण ऐसा होगा जो आयोग द्वारा समय-समय पर विनिश्चित किया जाये।

(3) आयोग के कार्यक्षेत्र में नहीं आने वाले पदों के लिए बोर्ड या, यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्राप्त आवेदन, जो अपूर्ण पाये जायें, उसके द्वारा अस्वीकार किये जायेंगे। परीक्षा में उपस्थित होने से पूर्व, अभ्यर्थी द्वारा स्वयं यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वह इन नियमों में यथा उपबन्धित आयु, शैक्षिक अर्हताएं, अनुभव, यदि कोई हो, आदि के संबंध में शर्तें पूर्ण करता/करती है। परीक्षा देने के लिए अनुज्ञात किया जाना

अभ्यर्थी को पात्रता की उपधारणा का हकदार नहीं बनायेगा। अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में उपस्थित होना होगा। बाद में बोर्ड या, यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी केवल ऐसे अभ्यर्थियों के आवेदनों की ही संवीक्षा करेगा जो लिखित परीक्षा में अर्हित हों:

परन्तु भेषजज्ञ के पद पर नियुक्ति के मामले में लिखित परीक्षा, बोर्ड/नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा संचालित की जायेगी और ऐसी लिखित परीक्षा में प्राप्त अंको तथा इतने बोनस अंको के आधार पर योग्यता तैयार की जायेगी जो राज्य सरकार द्वारा, राजस्थान सरकार मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी, एड्स नियंत्रण सोसाइटी, सहकारी उपभोक्ता थोक भंडार, सहकारी उपभोक्ता भंडार और अन्य सहकारी संस्थानों के अधीन सहकारी विभाग में समरूप कार्य के अनुभव की अवधि को ध्यान में रखते हुए विनिर्दिष्ट किये जायें। तथापि, राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा (II।। संशोधन) नियम, 2022 के प्रारंभ होने के पश्चात्, एकबारीय उपाय के रूप में, भेषजज्ञ के पद पर भर्ती इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट अर्हक शैक्षणिक और वृत्तिक परीक्षाओं में आवेदक द्वारा प्राप्त अंको के आधार पर तथा इतने बोनस अंको के आधार पर योग्यता सूची तैयार करके की जायेगी, जो राज्य सरकार द्वारा, राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी, एड्स नियंत्रण सोसाइटी, सहकारी उपभोक्ता थोक भंडार, सहकारी उपभोक्ता भंडार और अन्य सहकारी संस्थानों के अधीन सहकारी विभाग में समरूप कार्य के अनुभव की अवधि को ध्यान में रखते हुए विनिर्दिष्ट किये जायें:

परन्तु यह और कि भेषजज्ञ से भिन्न पद, जो आयोग के कार्यक्षेत्र में नहीं आते हैं, नियुक्ति के मामले में योग्यता, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इन नियमों से संलग्न अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट अर्हक शैक्षणिक परीक्षा या वृत्तिक परीक्षा या दोनों में प्राप्त अंकों और इतने बोनस अंकों के आधार पर तैयार की जायेगी जो राज्य सरकार द्वारा, सरकार के अधीन राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी, मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष, एड्स नियंत्रण सोसाइटी, पुनरीक्षित राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम (आरएनटीसीपी), झालावाड़ अस्पताल और चिकित्सा महाविद्यालय सोसायटी, एकीकृत रोग निगरानी परियोजना या स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य संस्थान के अधीन समरूप कार्य में अनुभव की अवधि को ध्यान में रखते हुए विनिर्दिष्ट किए जायें:

परन्तु यह भी कि किसी अभ्यर्थी की पात्रता या अन्यथा के संबंध में आयोग/बोर्ड या, यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा।"

[सं. एफ.1(2) डीओपी/ ए-II/97 पार्ट]

राज्यपाल के आदेश और नाम से,

रामनिवास मेहता,

संयुक्त शासन सचिव।

DEPARTMENT OF PERSONNEL
A-Gr.II
NOTIFICATION
Jaipur, May 23, 2022

G.S.R.25 .-In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Rajasthan hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Medical & Health Subordinate Service Rules, 1965, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Rajasthan Medical & Health Subordinate Service (Fifth Amendment) Rules, 2022.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Amendment of rule 19.- The existing rule 19 of the Rajasthan Medical & Health Subordinate Service Rules, 1965 shall be substituted by the following, namely:-

"19. **Scrutiny of applications and examinations.-** (1) The applications received by the Commission, for the post falling under the purview of the Commission, which are found to be incomplete shall be rejected by them. Before appearing in the examination, it should be ensured by the candidate himself/herself that he/she fulfils the conditions in regard to age, educational qualifications, experience, if any, etc. as provided in these rules. Being allowed to take the examination shall not entitle the candidate to presumption of eligibility. The candidates shall have to appear in the written examination. The Commission shall scrutinise later on the applications of such candidates only as qualify in the written examination.

(2) The Scheme and Syllabus of written examination shall be such as may be decided by the Commission, from time to time.

(3) The applications received by the Board or the Appointing Authority, as the case may be, for the posts not falling under the purview of the Commission, which are found to be incomplete shall be rejected by it. Before appearing in the examination, it should be ensured by the candidate himself/herself that he/she fulfils the conditions in regard to age, educational qualifications, experience, if any, etc. as provided in these rules. Being allowed to take the examination shall not entitle the candidate to presumption of eligibility. The candidates shall have to appear in the written examination. The Board or the Appointing Authority, as the case may be shall scrutinise later on the applications of such candidates only as qualify in the written examination:

Provided that in case of appointment to the post of Pharmacist, the written examination shall be conducted by the Board/Appointing Authority and the merit shall be prepared on the basis of marks obtained in such written examination and such bonus marks as may be specified by the State Government having regard to the length of experience on similar work under the Government of Rajasthan in Chief Minister BPL Jeevan Raksha Kosh, National Health Mission, Medicare Relief Society, AIDS Control Society, Sahakari Upbhokta Wholesale Bhandar, Sahakari Upbhokta Bhandar and other Co-operative Institutes under the Co-operative department. However, as one time measure, after commencement of the Rajasthan Medical & Health Subordinate Service (II Amendment) Rules, 2022, the recruitment to the post of Pharmacist shall be done by preparing merit list on the basis of marks obtained by the applicant in such qualifying academic and professional examinations as specified in the schedule appended to these rules and such bonus marks as may be specified by State Government having regard to the length of experience on similar work

under the Government of Rajasthan in Chief Minister BPL Jeevan Raksha Kosh, National Health Mission, Medicare Relief Society, AIDS Control Society, Sahakari Upbhokta Wholesale Bhandar, Sahakari Upbhokta Bhandar and other Co-operative Institutes under the Co-operative department.

Provided further that in case of appointment to the posts other than Pharmacist, which are not in the purview of the Commission, merit shall be prepared by the Appointing Authority on the basis of marks obtained in such qualifying academic examination or professional examination or both as specified in the schedule appended to these rules and such bonus marks as may be specified by the State Government having regard to the length of experience on similar work under the Government, National Rural Health Mission, Medi Care Relief Society, Chief Minister BPL Jeevan Raksha Kosh, AIDS Control Society, Revised National Tuberculosis Control Programme (RNTCP), Jhalawar Hospital and Medical College Society, Integrated Disease Surveillance Project or State Institute for Health and Family Welfare.

Provided also that the decision of the Commission/Board or Appointing Authority, as the case may be, regarding the eligibility or otherwise of a candidate shall be final. ”

[No. F. 1(2)DOP/A-II/97 Pt.]
By order and in the name of the Governor,
RAM NIWAS MEHTA,
JOINT SECRETARY TO THE GOVERNMENT.

Government Central Press, Jaipur.